के रूप में चयन किया गया था। मई, 1986 तक 1099 समस्याग्रस्त गांवों तथा 230 गैर-समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध करा दिया गया। जहाजपुर तहसील में 168 गांव हैं। इनमें से 143 गांवों को 31-3-1986 तक आंशिक रूप से अथवा पूर्णरूप से पेयजल आपूर्ति की सुविधाएं दी गयी हैं राज्य सरकार ने चित किया है कि इस तहसील के आंशिक रूप से शामिल किए गए तथा शामिल न किए गए गांवों को पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य चल रहा है।

(घ) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है, इसलिए जल आपूर्ति योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, केन्द्रीय सरकार केवल त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान को 1986-87 के लिए 21.22 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है।

कृषि भूमि की अधिकतम सीमा

2454. श्री नरेश सी० पुगलिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि भूमि की अधिकृत सीमा का निर्धारण करने के लिए पिछले वर्ष मई, 1985 में राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए थे और क्या उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों का राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (ग) भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन, जिसमें कृषि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना शामिल है, की समीक्षा करने के लिए मई, 1985 में राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के राजस्व मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उक्त सम्मेलन में हुई सहमति के अनुसार अधिकतम सीमाओं को कम करने पर राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा विचार किया जाना था।

वर्तमान अधिकतम सीमाएं हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल में सुनिश्चित सिंचाई वाली तथा एक वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाने योग्य भूमि हेतु 5 एकड़ के सुझाये गये स्तर के बराबर या उससे कम है।

सुनिश्चित सिंचाई वाली और एक वर्ष में कम से कम एक फसल पैदा करने योग्य भूमि के लिए 7.5 हेक्टेयर की सुझायी गई अधिकतम सीमा की तुलना में असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, उड़ीसा तथा त्रिपुरा में वर्तमान सीमाएं कम हैं।

शुष्क भूमि के लिए 12 हेक्टेयर के सुझाये गए स्तर की तुलना में, असम, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में वर्तमान सीमाएं कम अथवा बराबर हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार इस विचार से सहमत है कि वर्तमान अधिकतम सीमा को कम करने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पंजाब, चण्डीगढ़, दिल्ली, दादरा व नगर हवेली, राजस्थान, केरल, उड़ीसा, ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं।

महाराष्ट्र :

5 सदस्यों के एक औसतन ग्रामीण परिवार के लिए अपना जीवन निर्वाह करने हेतु पर्याप्त आय देने के लिए वर्तमान सीमा पर्याप्त है।

हरियाणा :

कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा जाता है।

हिमाचल प्रदेश :

सरकार अधिकतम सीमा को और कम करने को उचित नहीं समझती, क्योंकि अधिनियम को पूर्णतया कार्यान्वित किया गया है और साथ ही क्योंकि वर्तमान अधिकतम सीमा बहुत कम है।

पंजाब :

कृषि के मशीनीकरण को देखते हुए और आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि जोतों पर अधिकतम सीमा गुजारे के लिए मुश्किल से काफी है।

राजस्थान :

सीमा को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पश्चिम बंगाल :

कि, सभी प्रकार की भूमि को अधिकतम सीमाओं के दायरे में लाया गया है, अतः अधिकतम सीमा क्षत्र स्वतः ही कम हो जाएगा।

केरल तथा उड़ीसा :

अधिकतम सीमाएं पहले ही ही राष्ट्रीय मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत सिफारिश की गई सीमा से कम हैं। उनको और कम करने की आवश्यकता नहीं है।

चंडीगढ़ :

अधिकतम सीमा को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

दादरा एवं नागर हवेली :

अधिकतम सीमा को कम करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पड़ौसी राज्यों में निर्धारित की गई अधिकतम सीमाओं के बराबर हैं।

दिल्ली :

वर्तमान अधिकतम सीमा उचित प्रतीत होती है।

पांडिचेरी :

प्रशासन इन्हें कम करने पर तब विचार करेगा जब तमिलनाडु ऐसा करने का निर्णय ले।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु द्वारा उनके द्वारा विचार किए गए मतों को अभी व्यक्त किया जाना है।

Royalty on minerals

2455. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the revision in the rates of royalty on minerals can be done once in three years;

(b) whether State Governments are pressing for amending the laws for revision of rates of royalty on minerals once in two yeors; and

(c) if so, what action Government have taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF MINES IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) to (c) In accordance with the amendments recently made to the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the revision in the rates of royalty on minerals can be done once in any period of three years. When the proposals for such amendments were formualted, suggestions of the State Governments were given due consideration.

Incentives to farmers for more production

2456. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that with a view to encouraging farmers to grow more and to improve the financial condition of the cultivators the Central Government are contemplating to introduce some schemes; and